न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 654—पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 22—2—2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 139/97—98/अपील माल.

लक्ष्मण सिंह पुत्र गया जाटव
निवासी ग्राम पुटटी
परगना डबरा जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

रामस्वरूप पुत्र फोसू कुशवाह
निवासी ग्राम पुटटी
परगना डबरा जिला ग्वालियर ....अनावेदक

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—2—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायलय के समक्ष ग्राम पुट्टी तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 325, 326 व 327 पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 3—8—89 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अंकित करने का आदेश

दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–97 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2006 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अनेक वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, और पटवारी द्वारा कब्जा दर्ज नहीं करने के कारण उनके द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया गया, जिसे स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज करने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत मौके पर जॉच कराई गई है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है, और साक्ष्य से भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा होना सिद्ध पाया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 121 व 32 के अंतर्गत तहसील न्यायालय को कब्जा दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा कब्जा दर्ज करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई थी, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रखकर येन–केन–प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त करना चाहता है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तार से राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक अकारण मुकदमाबाजी में लिप्त होकर मूल भूमिस्वामी और उससे क्रय करने वाले अनावेदकगण को उनके स्वत्व से वंचित रखना चाहता है । इसी आशय का निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला जाकर आदेश पारित किये गये हैं । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर